न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या : 42 /20016 जिला दौसा

1. रघुनाथ पुत्र धन्ना
2. सांवल्या पुत्र छाज्या
3. नाथू पुत्र श्रीनारायण
4. रामजीलाल पुत्र श्रीनारायण
5. मन्नी बेवा श्रीनारायण
6. नरसी पुत्र प्रभू
7. रामधन पुत्र प्रभू
8. रामकरण पुत्र प्रभू , समस्त जाति मीणा, निवासी छारेडा, ढाणी बाण्या का बंध, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा ।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. महादेव पुत्र स्व.श्री गोपाल
2. पूरण पुत्र स्व.श्री गोपाल
3. विनोद पुत्र स्व.श्री गोपाल
4. लोहडीराम पुत्र स्व.श्री गोपाल
5. विजय कुमार पुत्र स्व. श्री गोपाल
6. मुरारीलाल पुत्र स्व.श्री गोपाल
7. जम्बूरी देवी पत्नी स्व.श्री गोपाल
8. रत्तीराम पुत्र स्व. श्री मूल्या
9. रेवड पुत्र स्व. श्री पून्या
10. भगवान्या पुत्र स्व.श्री पून्या
11. रामसहाय पुत्र स्व.श्री बुद्धा
12. किशनलाल पुत्र स्व. श्री हरचन्दा
13. रेवड पुत्र स्व. श्री खैराम
14. गोविन्दा पुत्र स्व. श्री बिरदा
15. किशना पुत्र स्व.श्री बिरदा
16. भौंर्या पुत्र स्व.श्री बिरदा
17. रेवड पुत्र स्व.श्री मूल्या
18. लादू पत्र स्व. श्री मूल्या
19. रामजीलाल पुत्र स्व.श्री मूल्या
20. कैलाश पुत्र स्व.श्री मूल्या
21. गुल्ली देवी पत्नी टुण्डाराम
    समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम छारेडा, ढाणी बाण्या का बंध, तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा ।
22. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा छारेडा, जिला दौसा जरिये शाखा प्रबन्धक
23. बैंक ऑफ बडौदा शाखा, दौसा जरिये शाखा प्रबन्धक
24. पंजाब नेशनल बैंक शाखा, दौसा जरिये शाखा प्रबन्धक
25. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा दौसा जरिये शाखा प्रबन्धक
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगलराजावतान, जिला दौसा (भूस्वामी)
27. उप पंजीयक (सब रजिस्ट्रार), लवाण, जिला दौसा ।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला कलेक्टर, दौसा दिनांक 5.10.2015

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री अशोक कुमार जोशी
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री अलोक चौधरी

निर्णय

दिनांक – 31.12.2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 5.10.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्राम सवाईपुरा (छारेडा) के आराजी खसरा नं. 99 रकबा 12 बीघा के खातेदार मांग्या पुत्र श्योबक्ष व पून्या पुत्र हट्या थे जिनमें से मांग्या के जायन्दा पुत्र गोपाल एवं पून्या के जायन्दा पुत्र मूल्या, रेवड़ व भगवान्या है । उक्त खातेदार मांग्या व पून्या के फोत होने पर सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर ने दिनांक 18.7.1981 को ग्राम सवाईपुरा (छारेडा) आराजी खसरा नं. 99 रकबा 12 बीघा भूमि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 17 की खातेदारी में बतौर खातेदार दर्ज कर खसरा परिशोधन पत्र में इन्द्राज कर दिया गया ।

सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के उक्त आदेश दिनांक 18.7.2081 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट महादेव पुत्र स्व. गोपाल वगैहरा द्वारा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5.10.2015 द्वारा स्वीकार की जाकर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर द्वारा खसरा परिशोधन पत्र संख्या 57 पर जारी आदेश दिनांक 18.7.1981 निरस्त किया गया ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 5.10.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट रघुनाथ पुत्र धन्ना वगैहरा द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने तथा अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 5.10.205 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्रम सवाईपुरा (छारेडा) स्थित आराजी खसरा नम्बर 99 रकबा 12 बीघा के खातेदार मांग्या पुत्र श्योबक्स व पून्या पुत्र हट्या मीणा थे । भू प्रबन्ध विभाग ने सैटलमेन्ट कार्यवाही में उक्त साबिक खसरा नम्बर 99 रकबा 12 बीधा के हाल खसरा नम्बर 3387, 3388, 3389, 3390 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402 कुल किता 16 कुल रकबा 3.23 हैक्टेयर बनाये गये । सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा खसरा परिशोधन दिनांक 57 दिनांक 18.7.1981 द्वारा अधीनस्थ

न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 17 का नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दिया । उनका कहना था अपीलान्ट्स के पूर्वजों ने कभी भी सैटलमेन्ट विभाग को उक्त कार्यवाही की कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की थी और ना ही अपने हस्ताक्षर तथा अंगूठा निशानी की थी । भू प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों ने नाजायज रूप से रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 से 17 को फायदा पहुँचाने की गर्ज से गलत इन्द्राज अपीलान्ट्स के रिकार्ड में किया है । उनका कहना था सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के उक्त प्रश्नगत आदेश के खिलाफ जिला कलक्टर दौसा के समक्ष अपील 32 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत हुई थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलान्ट्स द्वारा ही एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा के समक्ष उनवानी महादेव बनाम रामसहाय बाबत उद्घोषणा , दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया था जो क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान के न्यायालय में स्थानान्तरित होकर विचाराधीन है । उनका कहना था अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलाधीन आदेश पारित कर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर द्वारा जारी खसरा परिशोधन पत्र संख्या 57 दिनांक 18.7.1981 को निरस्त किया है , जो निरस्तनीय है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने 32 वर्ष के विलम्ब के संबंध मे अपने निर्णय में कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया जबकि मियाद का बिन्दु भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसको नजरन्दाज किया जाना विधिक नहीं है । उनका यह भी कहना था कि पक्षकारों के मध्य नियमित वाद विचाराधीन था जिसमें उनके अधिकारों का निर्धारण होना था , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अपीलान्ट्स पूर्वजों के समय से आज भी काबिज काश्त है । पक्षकारान ने अपने--अपने हिस्से की भूमि बैंक में बंधक रखकर ऋण प्राप्त कर रखा है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

निज़ी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

रेस्पोडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि ग्राम सवाईपुरा (छारेडा) तहसील नांगल राजावतान संवत् 2034 से 2037 की जमाबन्दी अनुसार खातेदार मांग्या पुत्र श्योबक्ष व पून्या पुत्र हट्या बहिस्सा बराबर के थे । सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सैटलमेंट कार्यवाही में साबिक खसरा नं. 99 रकबा 12 बीघा के हाल खसरा नं. 3387 लगायत 3402 कुल किता 16 रकबा 3.23 हैक्टेयर बनाये गये । सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर द्वारा उक्त भूमि में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंकित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 17 का नाम बतौर खातेदार खसरा परिशोधन पत्र सं. 57 दिनांक 18.7.81 द्वारा दर्ज कर दिया गया जबकि रेस्पोंडेन्ट्स के पूर्वजों ने इस बाबत कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की थी, न ही अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर किये और न ही कभी भी इस संबंध में अपने

बयान दर्ज कराये थे । भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नाजायज रूप से रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 17 को फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से गलत इन्द्राज किया है, जो सर्वप्रथम ही अवैध व शुन्य है । उनका कहना था कि विधिक रूप से भू प्रबन्ध विभाग को भू–राजस्व कायम करने का अधिकार था । भू प्रबन्ध विभाग द्वारा किसी भी खातेदार की खातेदारी भूमि को कम या ज्यादा करने या अन्य किसी के नाम करने का अधिकार नहीं है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 17 द्वारा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी से मिलकर फर्जी व कूटरचित परिशोधन पत्र तैयार कराया है जो कानूनन अवैध , शुन्य व क्षेत्राधिकार विहीन है । उनका कहना था कि खसरा परिशोधन पत्र संख्या 57 सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर दिनांक 18.7.1981 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट्स की अपील उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.10.2015 द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर द्वारा खसरा परिशोधन पत्र संख्या 57 पर जारी आदेश दिनांक 18.7.1981 निरस्त किया गया है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक होने से यथावत रखने एवं अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवाद ग्राम सवाईपुरा (छारेडा) के आराजी खसरा नं. 99 रकबा 12 बीघा के खातेदार मांग्या पुत्र श्योबक्ष व पून्या पुत्र हट्या के फोत होने पर सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर ने दिनांक 18.7.1981 को ग्राम सवाईपुरा (छारेडा) आराजी खसरा नं. 99 रकबा 12 बीघा भूमि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 17 की खातेदारी में बतौर खातेदार दर्ज कर खसरा परिशोधन पत्र में इन्द्राज कर दिया गया जिसके खिलाफ रेस्पोंडेन्ट महादेव पुत्र स्व. गोपाल वगैहरा द्वारा की गई अपील न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5.10.2015 द्वारा स्वीकार की जाकर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर द्वारा खसरा परिशोधन पत्र संख्या 57 पर जारी आदेश दिनांक 18.7.1981 निरस्त किया गया है। हम समझते हैं कि भू–प्रबन्ध संक्रियाओं के दौरान सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी भू–अभिलेख में उन्हीं परिवर्तनों का प्रभाव दे सकते हैं, जो विधिक प्रक्रियाओं के अनुसार हुए हैं अन्यथा किसी मामले में भी भू–अभिलेख के परिवर्तन का निर्णय नहीं दे सकते । इस प्रकरण में खातेदार मांग्या एवं पून्या की विरासत सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा खसरा परिशोधन पत्र सं. 57 दिनांक 18.7.1981 में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 17 के नाम खातेदारी दर्ज कर दी, जो सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के क्षेत्राधिकार में नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.10.2015 द्वारा यह मानते हुए कि (कानून का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सैटलमेन्ट विभाग को राजस्व अभिलेख में इन्द्राज बदलने का कोई अधिकार नहीं है वे मात्र पुराने इन्द्राजों को ही दोहराएगें) अपील अपीलान्ट

निजी सचिव अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

स्वीकार की जाकर सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के खसरा परिशोधन पत्र 57 पर जारी आदेश दिनांक 18.7.1981 को निरस्त किया है । हम समझते हैं कि अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक हैं जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलेक्टर, दौसा दिनाक 5.10.2015 यथावत रखा जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद ूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

अतिरिक्त [illegible]

अति. सम्भागीय आयुक्त,

जयपुर